संबद्धता उपविधि

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक),

पटना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, (उच्च माध्यमिक)
संबद्धता उपविधि

अध्याय–I

1. **संक्षिप्त नाम :–**

(i) यह उपविधि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता उपविधि कहलाएगी ।

(ii) यह उपविधि दिनांक 08.07.2011 के प्रभाव से प्रवृत होगी ।

2. जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में –

(i) ''संबद्धता'' से अभिप्रेत वर्ग XII तक विहित/अनुमोदित पाठ्यक्रम के अपनाने साथ–साथ बोर्ड की परीक्षाओं के लिए विहित कोर्स के अनुसार छात्रों को तैयार करने वाले बोर्ड के अनुमोदित सूची में किसी विद्यालय का औपचारिक नामांकन/प्रविष्टी ;

(ii) ''संबद्धता समिति'' से अभिप्रेत है बोर्ड की संबद्धता समिति ;

(iii) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति;

(iv) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष ;

(v) ''निदेशक'' (शैक्षणिक) से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का निदेशक (शैक्षणिक)

(vi) ''सचिव'' से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सचिव ;

(vii) ''परीक्षा' से अभिप्रेत है बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा;

(vii) ''विस्तार'' से अभिप्रेत है बोर्ड द्वारा विद्यालय को दिया गया संबद्धता–विस्तार;

(ix) ''संबद्धता फीस'' से अभिप्रेत है संबद्धता के संबंध में बोर्ड को विद्यालय द्वारा भुगतेय चार्ज ;

(x) ''विद्यालय प्रबंधन समिति'' से अभिप्रेत है विद्यालय प्रबंधन के लिए समिति ;

(xi) ''सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय'' से अभिप्रेत है संघ सरकार/राज्य सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालय ;

(xii) ''राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा नियंत्रित विद्यालय ;

(xiii) ''अनुदान सहायता'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार से अनुरक्षण के रूप में सहायता ;

(xiv) ''संस्था प्रधान'' से अभिप्रेत है समिति द्वारा संबद्ध उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय का प्राचार्य/प्रधानाध्यापक ;

(xv) ''संस्था'' से अभिप्रेत है समिति द्वारा संबद्ध कोई शैक्षणिक संस्था ;

(xvi) ''केन्द्रीय विद्यालय'' से अभिप्रेत है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वशासी संस्था, केन्द्रीय विद्यालय संस्थान द्वारा चलाया जाने वाला कोई विद्यालय ;

(xvii) ''जवाहर नवोदय विद्यालय'' से अभिप्रेत है भारत सरकार की नवोदय विद्यालय समिति द्वारा चलाया जाने वाला कोई विद्यालय ;

(xviii) ''माता–पिता शिक्षक संगठन'' से अभिप्रेत किसी विशिष्ट विद्यालय के माता–पिता और शिक्षकों का संगठन ;

(xix) ''निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय'' से अभिप्रेत गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जाने वाला विद्यालय ;

(xx) ''एक स्वशासी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसा विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमावली/बनाए गए मार्ग दर्शन के अधीन चलता हो ;

(xxi) ''आरक्षित निधि'' से अभिप्रेत है समिति की अपेक्षाओं के अनुसार विद्यालय प्राधिकार द्वारा, जो सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/संबंधित विद्यालय के प्रबंधक के संयुक्त नाम से किसी डाक घर/राजकीयकृत बैंक में अपना खाता रखता हो, सृजित निधि;

(xxii) ''उच्च माध्यमिक विद्यालय'' से अभिप्रेत माध्यमिक (वर्ग–X) एवं उच्च माध्यमिक (वर्ग–XII) दोनों की अथवा केवल उच्च माध्यमिक विद्यालय (वर्ग–XII) की बोर्ड की परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने वाला विद्यालय ;

(xxiii) ''माध्यमिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है माध्यमिक विद्यालय (वर्ग–X) की बोर्ड की परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने वाला विद्यालय ;

(xxiv) ''लोक उपक्रम द्वारा चलाया जाने वाला विद्यालय'' से अभिप्रेत है पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा चलाया जाने वाला विद्यालय जो उस उपक्रम द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित हो ;

(xxv) ''संयुक्त संबद्धता'' से अभिप्रेत वर्ग IX से XII तक संबद्धता ;

(xxvi) ''सत्र'' से अभिप्रेत बारह मास की कालावधि उदाहरणस्वरूप सामान्यतया चालू वर्ष के माह अप्रैल से आगामी वर्ष का माह मार्च ;

(xxvii) ''शिक्षक'' से अभिप्रेत है शिक्षण के प्रयोजनार्थ बोर्ड से संबद्ध किसी संस्था के नियोजन में नियुक्त व्यक्ति ;

(xxviii) ''उत्क्रमण'' से अभिप्रेत है मध्य विद्यालय से उच्च माध्यमिक स्तर में उत्क्रमण, उदाहरणस्वरूप वर्ग X से XI तथा XII ;

2. एक वचन वाचक शब्दों में बहुवचन अथवा विपर्ययेन भी शामिल होंगे ।

3 पुलिंग वाची शब्दों में स्त्रीलिंग भी शामिल होंगे ।

अध्याय–II

3. संबद्धता के लिए शर्तें

1. बिहार राज्य के भीतर निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों की संबद्धता के लिए बोर्ड विचार कर सकेगा :–

   (i) राजकीय/राजकीयकृत अथवा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय ;

   (ii) सरकारी विभागों द्वारा सीधे शासित अथवा प्रबंधित विद्यालय ;

   (iii) पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा इस प्रकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के वित्तीय नियंत्रण के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए प्रतिष्ठित समितियों द्वारा अथवा इस प्रकार के उपक्रमों द्वारा निर्मित समितियों द्वारा सीधे प्रबंधित विद्यालय ;

   (iv) भारत सरकार के सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 अथवा राज्य सरकार के अधिनियमों के अधीन गैर सरकारी संस्था के द्वारा स्थापित शैक्षणिक, दातव्य या धार्मिक समितियों के रूप में अथवा न्यास द्वारा स्थापित निजी ,गैर सहायता प्राप्त विद्यालय;

2. संबद्धता के लिए निम्नलिखित चार कोटियों के अधीन विचार किया जा सकेगा :–

   (i) माध्यमिक विद्यालय की संबद्धता ;

   (ii) उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए विद्यालय का उत्क्रमण/ संबद्धता ;

   (iii) संयुक्त संबद्धता ;

   नोट– इस उपविधि के खण्ड 11 (7) में उपबंधित शर्तो को पूरा करने के अध्यधीन व्यावसायिक शिक्षा में विद्यालयों को संबद्धता दे सकेगा ।

3. बिहार की कोई भी शैक्षणिक संस्था, जो निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यक शर्तो को पूरा करती हो, संबद्धता के लिए बोर्ड के पास आवेदन कर सकती है :–

   (i) बोर्ड से संबद्धता की इच्छा रखने वाले विद्यालय को विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा और बोर्ड के विचारण के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी :–

   (ii) (क) विद्यालय के पास भौतिक आधारभूत संरचना के लिए कम से कम 1158 वर्ग मीटर (029 एकड़) भूमि और 1 (एक) एकड़ क्षेत्र का खेल का मैदान है।
   शहरी क्षेत्र में विद्यालय के लिए एक खेल के मैदान में दो से तीन विद्यालय भागीदारी कर सकेंगे ।

   (ख) समिति के सदस्यों/सचिव/अध्यक्ष/प्रबंधन/न्यास जो विद्यालय का प्रबंधन करता हो, का पूर्ण व्योरा ।

   (ग) विद्यालय को बोर्ड के मापदण्ड के अनुसार अर्हताप्राप्त शिक्षण स्टाफ रखना होगा ।

(घ) नगरों में, पर्याप्त भवन तथा संबद्धता समिति के समाधानप्रद रूप में शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा देने और खेल कूद के संचालन के लिए अन्य संस्था/संगठन के साथ व्यवस्था सहित कम से कम एक एकड़ से कम भूमि नहीं होनी चाहिए । लीज की दशा में, यदि यह कम से कम 30 वर्षो के लिए हो तो यह स्वीकार्य होगा :

परन्तु और कि किसी भाग, जो 30 वर्षो से कम के लिए लीज किया गया हो, की दशा में, ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकेगा, वशर्ते कि भूमि सरकार अथवा सरकारी ऐजेंसी द्वारा आबंटित की गयी हो तथा यह प्रचलित विधि के अनुसार हो। सभी ऐसे मामलों में विद्यालयो को स्वामित्व द्वारा अथवा 30 वर्षो के लिए लीज द्वारा कम से कम एक एकड़ भूमि होनी चाहिए तथा सभी मामलों में कुल भूमि का क्षेत्र लगभग दो एकड़ से कम नहीं होना चाहिए ।

(ड़) भौतिक आधारभूत संरचना–माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का कुल भूतल क्षेत्रफल 1110 वर्ग मीटर (0.27 एकड़) निम्न रूप में में वितरित होना चाहिएः–

माध्यमिक वर्गो के लिए वर्ग कक्षा– (संख्या–6 प्रत्येक 40 वर्ग मीटर)	240 वर्ग मीटर
उच्च माध्यमिक वर्गो के लिए– (संख्या–6, प्रत्येक 35 वर्ग मीटर)	210 वर्ग मीटर
प्रधानाध्यापक कक्ष (संख्या–1)	30 वर्ग मीटर
20 शिक्षकों के लिए स्टाफ कक्ष (संख्या–1)	50 वर्ग मीटर
प्रयोगाशाला (संख्या–3,प्रत्येक 50 वर्ग मीटर	150 वर्ग मीटर
कम्प्यूटर कक्ष (संख्या–1)	50 वर्ग मीटर
गणित कक्ष (संख्या–1)	50 वर्ग मीटर
पुस्तकालय कक्ष (संख्या–1)	50 वर्ग मीटर
बहुद्देशीय कक्ष (संख्या–2, प्रत्येक 25 वर्गमीटर	50 वर्ग मीटर
खेल–कुद उपकरण कक्ष (संख्या–1)	30 वर्ग मीटर
भंडार कक्ष	40 वर्ग मीटर
चिकित्सा कक्ष (संख्या–1)	20 वर्ग मीटर
प्रशासन कक्ष (संख्या–1)	20 वर्ग मीटर
बरामदा	150 वर्ग मीटर
छात्रों के लिए प्रसाधन कक्ष (संख्या–4 प्रत्येक 2.5 वर्गमीटर)	10 वर्ग मीटर
स्टाफ सदस्यों के प्रसाधन कक्ष (संख्या–2,प्रत्येक 2.5 वर्ग मीटर)	5 वर्ग मीटर
ट्यूब वेल के लिए सिमेंटेड स्पेस	5 वर्ग मीटर
सुरक्षा गार्ड के लिए स्टाफ क्वार्टर	30 वर्ग मीटर
	कुल–1110 वर्ग मीटर

(च) विद्यालय को उपस्कर, उपकरण एवं न्यूनतम विज्ञान, गृह विज्ञान, तकनीकी विषयों, व्यवसायिक विषयों कार्यानुभव एवं कला शिक्षा के अधीन विभिन्न क्रियाकलापों की (बोर्ड द्वारा विहित न्यूनत्तम) सुविधाएँ रखना अनिवार्य होगा ।

(छ) विनिर्देशन जो भवन, प्रत्येक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बारे में उल्लिखित है, के अलावे अंतर संबद्धता के साथ न्यूनत्तम 25 कम्प्यूटर होना चाहिए।

(ज) सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पक्का चहारदिवारी, निःशक्त बच्चों की पहूँच के लिए रैम्पस, ट्यूबवेल दो टंकियों सहित, सीवरेज तथा स्वच्छता सुविधाएँ विधुतीकरण एवं अग्नि सुरक्षा उपाय होना चाहिए ।

(झ) विद्यालय को पेयजल तथा विद्यालय में अग्नि सुरक्षा पूर्व सावधानी से संबंधित नगर पालिका प्राधिकार के आदेशों को ईमानदारी से पालन करना चाहिए। स्वच्छता शर्तो तथा पानी/अग्नि सुरक्षा स्वच्छता स्थिति एवं पेयजल से संबंधित नगरपालिका/अग्नि प्राधिकार से प्राप्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ समर्पित किया जाना चाहिए। प्रत्येक पॉच वर्षो पर इन अपेक्षाओं को पूरा करने से संबंधित नया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए और बोर्ड को समर्पित किया जाना चाहिए ।

(ञ) विद्यालय को मनोरंजन के क्रियाकलाप एवं शारीरिक शिक्षा के साथ–साथ विभिन्न क्रियाकलापों का प्रर्याप्त सुविधा रखने के लिए तथा विकासात्मक शिक्षा तथा छात्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक–विकास तथा उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएँ होनी चाहिए :

परन्तु किसी क्षेत्र विशेष में विद्यालय की अनुपब्धता की दशा में बोर्ड द्वारा उपर्युक्त शर्तो को शिथिल किया जा सकेगा । संबद्धता समिति को महिला संस्थाओ के मामले में संबद्धता की शर्तो को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

4. **पहूँच**

(क) प्रत्येक आबादी के पॉच किलोमीटर के अन्दर उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रावधान होना चाहिए ।

(ख) सभी माध्यमिक स्तर के वर्गो को उद्दाहरण स्वरूप वर्ग IX से XII तक उच्च माध्यमिक विद्यालय नामक एक विद्यालय से जोड़ा जायेगा। दोनों माध्यमिक शिक्षा के वर्गो, यथा IX से X प्रत्येक में तीन सेक्शन होंगे प्रत्येक सेक्शन में 40 छात्र होंगे।

(ग) उच्च माध्यमिक शिक्षा में दोनो वर्गो यथा XI से XII में, तीन विषयों की शिक्षा, मानविकी, विज्ञान तथा वाणिज्य की शिक्षा देने हेतु पुनः प्रत्येक वर्ग में तीन सेक्शन होगें । यदि किसी विषय की मांग हो तो मांग के अनुसार विषय में एक से अधिक सेक्शन हो सकेगा ।

4. **आवेदन देने की अंतिम तिथि**

1. यथास्थिति (क) माध्यमिक विद्यालय की संबद्धता

(ख) विद्यालय का उच्च माध्यमिक स्तर में उत्क्रमण के लिए (विहित शुल्क सहित) विहित प्रपत्र में आवेदन उस सत्र के जिससे सिलेबस/संबद्धता/उत्क्रमण अनुमोदन की याचना की गयी हो के पूर्ववर्त्ती वर्ष के तीस जून तक बोर्ड के कार्यालय में पहूँच जाना चाहिए।

2. बोर्ड के अध्यक्ष, उपर्युक्त मामलों में आवेदन देने की अंतिम तिथि के बाद भी कोई आवेदन पर विचार कर सकेंगे ।

5. **सोसाइटी/न्यास द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालय ।**

1. कोटि 3–(1) ख के विद्यालय के मामले में समुचित रूप से गठित रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी/न्यास होना चाहिए । उसे गैर सांपत्तिक चरित्र का होना चाहिए तथा इसका गठन इस प्रकार होना चाहिए कि इसका नियंत्रण किसी एक मात्र व्यक्ति या सदस्य परिवार में निहित न हो सोसाइटी/न्यास का उद्देश्य इस उपविधि के खण्ड 16 में अधिकथित रूप में होना चाहिए

2. सोसाइटी/न्यास का गठन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध विहित नियमों के अनुरूप भी होना चाहिए ।

6. **विद्यालय प्रबंधन समिति ।**

प्रत्येक मान्यता प्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित या अनुरक्षित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पृथक प्रबंध समिति वाले विद्यालय को छोड़कर, प्रबंध समिति गठित की जायगी ।

7. **वित्तीय संसाधन ।**

1. विद्यालय को अपनी विद्यमानता जारी रखने हेतु गारंटी के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होना आवश्यक है ।

2. संस्था से प्राप्त आय का कोई भाग न्यास/सोसाइटी/विद्यालय प्रबंधन समिति में किसी व्यक्ति को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नही किया जायगा। आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय पूरा करने तथा विकास के लिए अनिष्ट निवारणार्थ अंशदान देने बाद बचत, यदि कोई हो एवं आकस्मिक निधि का उपयोग विद्यालय की उन्नति के लिए किया जा सकेगा। चाटर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा लेखा परीक्षा तथा अभिप्रमिणत किया जाना चाहिए तथा समुचित लेखा विवरणी नियमानुसार तैयार की जानी चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रत्येक वर्ष बोर्ड को भेज दी जानी चाहिए ।

3. प्रबंधन द्वारा किसी व्यक्ति/व्यक्तियों अथवा इन्टरप्राइज को विद्यालय में शिक्षा को अग्रसर करने के सिवाय निधियों के चैनलिंग से संबद्धता को शासित करने वाले नियमों का उल्लंघन होगा तथा बोर्ड द्वारा समुचित कार्रवाई की मांग की जायगी

8. **पुस्तकालय ।**

1. पुस्तकालय सुसज्जित होनी चाहिए तथा आरंभ में कम से कम 1500 से अन्यून उसके स्टॉक में प्रति छात्र कम से कम पॉच पुस्तके (पाठ्य पुस्तक के अलावे) होनी चाहिए । पुस्तकों अखबारो तथा पत्र पत्रिकाओं के चयन में बोर्ड द्वारा उपबंधित मार्ग दर्शक नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए तथा विषय के शिक्षक के परामर्श से क्रय किया जाना चाहिए ।

2. पुस्तकालय में ऐसी कोई भी पुस्तक या अन्य प्रकार साहित्य नहीं होंगे जो सांप्रदायिक असंगति या जातीयता अथवा धर्म के क्षेत्र या भाषा इत्यादि के आधार पर विभेद का समर्थन करता हो अथवा दुष्प्रचार करता हो। विद्यालय को सरकार/बोर्ड द्वारा बिना अनुमोदन के कोई भी पुस्तक पुस्तकालय के स्टॉक में नही रखना चाहिए ।

9. **फीस ।**

1. फीस चार्ज संस्था द्वारा उपबंधित सुविधाओं के अनुरूप होनी चाहिए । विभिन्न कोटि के विद्यालयों के लिए राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा विहित शीर्ष के अधीन शुल्क सामान्यतया चार्ज किया जाना चहिए । विद्यालय में नामांकन अथवा किसी अन्य प्रयोजनार्थ कोई कैपिटेशन फीस अथवा स्वैच्छिक चंदा विद्यालय के नाम प्रभारित (चार्ज) अथवा संग्रह नही किया जायगा । ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में बोर्ड विद्यालय की संबद्धता समाप्त करने तक की समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

2. सत्र पूरा होने के पूर्व किसी छात्र के अपने माता–पिता के स्थानांतरण या स्वास्थ्य के कारण विद्यालय त्यागने अथवा छात्र की मृत्यु की दशा में तिमाही/काल/वार्षिक फीस की अनुपातिक वापसी की जायगी ।

3. गैर सहायता प्राप्त विद्यालयो को फीस–पुनरीक्षण के पूर्व माता–पिता से उनके प्रतिनिधि के माध्यम से परामर्श करना चाहिए। सत्र के मध्य में फीस का पुनरीक्षण नही किया जायगा।

10. **छात्रों का नामांकन ।**

बोर्ड से संबद्ध विद्यालय में नामांकन बिना किसी धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर विभेद के किया जायगा । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो के छात्रों के नामांकन पर राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण के नियम लागू होंगे।

11. **प्रकीर्ण ।**

1. बोर्ड से संबद्धता चाहने वाले/पूर्व से संबद्ध विद्यालय का निरीक्षण बोर्ड, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्त निरीक्षण समिति द्वारा किया जा सकेगा।

2. बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी सूचना एवं विवरणी, विद्यालय द्वारा संबंधित प्राधिकारी को भेजे जाने हेतु दिये गए विहित समय के भीतर आपूरित की जायगी ।

3. किसी परीक्षा के संचालन एवं मुल्यांकन के लिए संबद्ध संस्थाओं के भवन एवं उपस्कर बोर्ड द्वारा किया जायगा । प्रबंधन तथा प्राचार्य परीक्षाओं के संचालन एवं कौपी मूल्यांकन में बोर्ड के साथ सहयोग करेंगें । यदि बोर्ड द्वारा कहा जाय तो विद्यालय द्वारा ऑफर किये प्रत्येक विषय में कम से कम तथा एक से अधिकर यदि परीक्षा के लिए भेजे जाने वाले छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो । यदि वे ऐसा करने में असफल हो तो बोर्ड को विद्यालय की असंबद्धता के लिए कार्रवाई आरंभ करने सहित समुचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा । फिर भी, विद्यालय में शैक्षणिक कार्यो के विदारण का दूर करने के लिए विद्यालय के आकार का, ऐसी शर्त अधिरोपित करने के पूर्व घ्यान रखा जायगा ।

4. विद्यालय बोर्ड की परीक्षाओं नामांकन के प्रयोजनार्थ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक वर्गो में सभी छात्रों की उपस्थिति का अभिलेख संधारित करेगा । इन पंजियों में की गयी प्रविष्टियाँ की जॉच प्रत्येक सत्र के अंत में समुचित रूप से की जायगी तथा हस्ताक्षरित की जायगी। उपस्थिति पंजियाँ बोर्ड के पदाधिकारियों तथा निरीक्षण समिति के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

5. विद्यालय वर्ष में कम से कम एक बार छात्रों की डाक्टरी जॉच की व्यवस्था करेगा तथा उसका समुचित अभिलेख रखेगा ।

6. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय अखंडता पर विशिष्ट जोर देते हुए मूल्यआधारित शिक्षा पाठ्य चर्चाओं में विभिन्न विषयों एवं क्रियाकलापां के शिक्षण के माध्यम से दिया जाता है ।

7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के संबर्द्धन के हित में विद्यालयों/महाविद्यालयों को, केवल व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, उन शर्तो के अधीन कि वे बोर्ड द्वारा विहित पाठ्यचर्याओं सहित संबद्धता उपविधि की अन्य शर्तो को पूरा करेंगे, बोर्ड की समिति संबद्धता की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

परंतु और कि विद्यालय/महाविद्यालय व्यवसायिक पाठ्यक्रमों पर ऐसे अन्य संगठन/उद्योगों के सहयोजन से शिक्षा देंगे जो विशिष्ट व्यवसायिक पाठ्यक्रम अध्ययन से सीधे संबंधित हो और युक्ति युक्त दूरी पर उपलब्ध हों ।

8. बोर्ड, एवं राज्य सरकार जब और जैसा आवश्यक समझे, विद्यालय की निधियो की लेखा परीक्षा आयोजित कर सकेगा ।

9. बोर्ड की परीक्षा उपविधियों का अक्षरशः पालन करना बोर्ड से संबद्ध विद्यालय के लिए आज्ञापक होगा ।

12. **एक मुश्त संबद्धता शुल्क।**

संबद्धता आदि का अनुमोदन चाहनें वाली संस्था को आवेदन के साथ नीचे दी गयी विहित फीस का भुगतान सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बुद्ध मार्ग, पटना 800001 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा ।

छात्रों का नामांकन प्रथम से आगे	एक मुशत शुल्क की राशि
500 तक	75,000/—रू0
501 से 750	1,00,000/—रू0
751 से ऊपर	1,50,000/—रू0

परंतु यह कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित एवं चलायी जाने वाली संस्था पर यह शर्त लागू नहीं होगी ।

13. **(क) विद्यालय का अंतरण/ विक्रय**

विद्यालय या विद्यालय की किसी सम्पत्ति का एक सोसाइटी/प्रबंधन/न्यास से अन्य सोसाइटी/प्रबंधन /न्यास को विक्रय विलेख एकरारनामा के माध्यम से अंतरण/विक्रय की स्वीकृति बोर्ड नहीं देगा । यदि ऐसा स्पष्ट रूप से या उपलक्षित रूप से हुआ हो तो बोर्ड तुरंत के प्रभाव से उसकी संबद्धता वापस ले लेगा ।

अध्याय–III

14. संबद्धता के लिए आवेदनों का दिया जाना तथा उसके बाद की कार्रवाई

1. अध्याय–II में संबद्धता के लिए दिये गए नियमों के पालन करने वाले विद्यालय, उस वर्ष के पूर्व गामी वर्ष में जिसमें वर्ग IX/XI आरंभ होना प्रस्तावित हो, के 30 जून के पूर्व परिशिष्ट II में दी गयी विहित फीस के साथ विहित प्रपत्र पर उच्च माध्यमिक वर्गो की संबद्धता/उत्क्रमण एवं संयुक्त संबद्धता के लिए बोर्ड के पास आवेदन दे सकेंगे ।

2. आवेदन देने के पूर्व विद्यालय को यह सुनिश्चित हो लेना चाहिए कि वह अध्याय–II के खंड–3 में दी गयी अपेक्षाएँ पूरी करता है । विद्यालय द्वारा आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा नहीं किये जाने पर किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायगा ।

3. आवेदन प्राप्ति पर, बोर्ड विभिन्न शर्तो के संबंध में दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और यदि यह अवधारित होता है कि विद्यालय आवश्यक शर्तो को पूरा करता है तो जिस वर्ग के लिए आवेदन दिया है उस वर्ग के लिए बोर्ड के साथ संबद्धता की उपयुक्तता के निर्धारण के लिए एक निरीक्षण समिति नियुक्त की जायगी ।

4. आवेदन की संवीक्षा पर यदि यह पाया जाय कि विद्यालय न्यूनतम शर्तो को पूरा नहीं करता है तो तद्नुसार उसे सूचित कर दिया जायगा और जबतक बोर्ड के समाधान प्रद रूप में आवश्यक शर्तो को पूरा नही कर लेता बोर्ड द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायगी ।

5. संबद्धता समिति ।

गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की संबद्धता देने तथा वापस लेने के लिए बोर्ड द्वारा एक सबंद्धता समिति का गठन किया जायगा । संबद्धता समिति निम्नलिखित को मिलाकर होगी :–

(i) बोर्ड के अध्यक्ष,

(ii) सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

(iii) बोर्ड द्वारा नामित एक व्यक्ति

बोर्ड के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और बोर्ड के सचिव, समिति के सचिव होगें ।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 की धारा 10 (क) के तहत यदि बोर्ड अधिग्रहित हो तो बोर्ड के कार्यो के क्रियान्वयन हेतु अधिसूचना द्वारा नियुक्त प्रशासक समिति के अध्यक्ष के तरह कार्य संपादित करेगें ।

6. समिति के कार्यकलाप में उत्पन्न विवाद अथवा समिति के निर्णय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति वैसे निर्णय की संसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 में समय–समय पर यथा संशोधित की धारा–10 (ख) की उप धारा (4) में वर्णित प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा एवं वैसे मामलों पर अपीलीय प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा।

7. बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्था सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान का दावा नहीं करेगी। ऐसी संस्थाओं का सरकार द्वारा अधिग्रहण भी नहीं किया जायेगा।

8. निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ कार्यालय की अवधारणा बोर्ड की संबद्धता समिति के समक्ष इसकी आगामी बैठक में, यथास्थिति संबद्धता आदि देने या न देने के बारे में निर्णय लेने हेतु रखा जायगा । संबद्धता आदि देने के बारे में निर्णय संबद्धता समिति के अनुमोदन के बाद तुरंत विद्यालय को संसूचित किया जायगा :

परंतु बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा समुचित मामलों में शर्तो को शिथिल किया जा सकेगा एवं विद्यालय का सत्र आरम्भ होने पर भी विद्यालय संबद्धता/उत्क्रमण, के लिए उपविधियों एवं शर्तो के अनुसार विहित प्रपत्र में माध्यमिक वर्गो अथवा उच्च माध्यमिक वर्गो के लिए संबद्धता हेतु विद्यालय नया आवेदन देगें ।

9. बोर्ड के लिखित अनुमोदन के बिना विद्यालय वर्ग IX/XI को आरंभ नही करेंगे। बोर्ड के लिखित अनुमोदन के बिना वर्ग IX/XI आरंभ करने के मामले में किसी परिणाम के लिए बोर्ड उत्तरदायी नही होगा ।

10. वैसे विद्यालयों को, जो भूमि सहित संबद्धता उपविधियों की सभी शर्तो को पूरा करते हों तीन वर्षो के कालावधि तथा उसके बाद नवीकरण के लिए अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधानों एवं शर्त्तो के अनुपालन करने पर संबद्धता दी जायगी।

11. एतत्पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, बोर्ड से संबद्ध/संबद्धता हेतु इच्छुक विद्यालय/विद्यालय समूह की शाखा/शाखाएँ अथवा इकाई/इकाईयॉ बोर्ड से संबद्ध होना तबतक नहीं समझी जायगी यद्यपि कि ऐसे मुख्य विद्यालय बोर्ड की संबद्ध हो चुका हो, जबतक ऐसी शाखाएँ/इकाईयॉ नया आवेदन नहीं देती और एतद् पूर्ण उपबंधित रूप मे बोर्ड द्वारा संबद्धता नहीं दे दी जाती ।

12. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक वर्गो के लिए संबद्धता के विस्तार के लिए अनुरोध विद्यालय प्राधिकार द्वारा सबंद्धता समाप्ति वर्ष के पूर्वगामी वर्ष के 30 जून तक किया जायगा।

अध्याय–IV

15. **संबद्धता की वापसी ।**

संबद्ध विद्यालय

1. बोर्ड द्वारा किसी विशिष्ट विषय अथवा, सभी विषयों में संबद्धता की वापसी की जा सकेगी। माध्यमिक शिक्षा देने वाली संस्था असंबद्ध की जा सकेगी यदि बोर्ड का समाधान हो जाय ऐसी संस्थाएँ बोर्ड की संबद्धता जारी रखने के योग्य नहीं हैं ।

2. (i) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण बिहार गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन अधिग्रहण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 द्वारा 02.10. 1980 को किया गया । ऐसे विद्यालय माध्यमिक परीक्षाओं के प्रयोजनार्थ बोर्ड से संबद्ध समझे जायगें।

   (ii) प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालय जिनका अधिग्रहण 02.10.1980 के बाद किया गया हो माध्यमिक परीक्षाओं के प्रयोजनार्थ बोर्ड से संबद्ध समझे जायेगें ।

   (iii) प्रस्तावित विद्यालय भी जिसे बिहार गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन का अधिग्रहण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 एवं 19 के अधीन स्वत्वाधारक विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, माध्यमिक परीक्षाओं के प्रयोजनार्थ बोर्ड से संबद्ध समझे जायेगे ।

   (iv) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय जिसे 02.10.1980 के पूर्व अथवा 02.10.1980 के बाद मान्यता प्राप्त हुई हो तथा बाद में सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय घोषित किये गये हो, माध्यमिक परीक्षाओं के प्रयोजनार्थ बोर्ड से संबद्ध समझे जायेगें ।

   (v) सभी बालक एवं बालिका राजकीय माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक परीक्षाओं के प्रयोजनार्थ बोर्ड से संबद्ध समझे जायेगें ।

3. संबद्धता वापसी की कार्यवाही, विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने की युक्ति युक्त सूचना विद्यालय प्रबंध समिति को दिये जाने के बाद, बोर्ड द्वारा आंरभ की जा सकेगी

   (i) इन उपविधियों में उपबंधित के सिवाय प्रयोजनों के लिए निधि के अपवर्तन सहित वित्तीय अनियमितता ;

   (ii) विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरूद्ध देश द्रोह अथवा परायापन की भावना को मन में बैठाने अथवा उसे बढ़ावा देने सहित राज्य के हित के प्रतिकूल क्रियाकलापों में व्यस्त रहना

(iii) समाज के विभिन्न धाराओं के बीच असामंजस्य/घृणा को बढ़ाबा देना या रहने देना।

(iv) सम्यक नोटिस के बाद भी संबंधित कमियों को दूर करने से अधिकथिक शर्तो को पूरा नहीं किया जाना ;

(v) चेतावनी पत्र प्राप्त होने के बाद भी संबद्धता के नियमों एवं शर्तो का घ्यान नहीं रखना;

(vi) विद्यालय प्रबंधन के अन्दरूनी दुश्मनी से उत्पन्न बीच विवाद के चलते विद्यालय के सुगम कार्यशैली में बाधा ;

(vii) लगातार तीन वर्षो तक निम्नस्तरीय कार्यकलाप सामान्य उत्तीर्णता प्रतिशत के कम से कम 50 प्रतिशत उत्तीर्णता बनाये रखने में विद्यालय का शैक्षणिक कार्यकलाप अप्रर्याप्त होना।

(viii) किसी विशिष्ट विषय के शिक्षण के लिए समुचित उपकरण/स्थान/स्टाफ की अनुपलब्धता ;

(ix) नामांकन/परीक्षा/किसी अन्य क्षेत्र, जो बोर्ड की राय में, विद्यालय की तुरंत असंबद्धता के लिए न्याय संगत हो, से संबंधित कोई अन्य कदाचार ;

(x) एक समिति/प्रबंधन/न्यास द्वारा अन्य समिति/प्रबंधन/न्यास एकरारनामा/विक्रय विलेख के माध्यम से विद्यालय की संपत्ति के अंतरण/विक्रय की दशा में ;

(xi) रिट याचिका (अपराधिक) संख्या–666–70/1992 विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.08.1997 में भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए पारित आदेश द्वारा विहित नियमों का उल्लंघन स्थापित होने पर कार्रवाई की जा सकेगी।

(xii) अध्याय–II के उपखंड–3 के प्रावधानों का उल्लंघन ।

4. बोर्ड विद्यालय प्रबंधन को शो–कॉज नोटिस अधिकतम एक वर्ष के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर देना जिसमें असफल रहने पर बोर्ड संस्था को असंबद्ध घोषित कर सकेगा । बोर्ड द्वारा ऐसा निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । शो–कॉज नोटिस की अधिकतम अवधि एक माह से अधिक नही हो सकेगी ।

5. संबद्धता के लिए केवल आवेदन पत्र देने अथवा उसके बोर्ड के पास लम्बित रहने से किसी विद्यालय को ''बोर्ड से संबद्ध होना'' लिखने का न तो वह हकदार होगा और न किसी रीति से कुछ भी करने का सहारा लेगा जिससे लोगों के मन में इसके संबंध मे कोई गलत छवि बने।

6. अध्याय IV खण्ड 15 के सामान्य रचना के भीतर बोर्ड विद्यालय संबद्धता वापसी का अधिकार संबद्धता मानकों एवं नियमों के अनुपालन में विफल अथवा लगातार तीन वर्षो तक बोर्ड की परीक्षाओं में प्रत्येक विषय की उत्तीर्णता प्रतिशत अधिकतर विषयों में उत्तीर्णता प्रतिशत गिरते जाने की दशा में आरंक्षित रखेगा । बोर्ड द्वारा दिये गए पर्याप्त समय (छः माह से एक वर्ष) के भीतर कमियों को सुधार करने हेतु विद्यालय को कहेगा । यदि विद्यालय सुधार दर्शाने में असफल रहते है तो वे संबद्ध विद्यालय की हैसियत खो देंगे और संबद्ध विद्यालय की हैसियत से अवक्रमित कर दिये जायेगें ।

7. यदि कोई विद्यालय, विद्यालय के संबद्ध होने के लिए विहित नियमों और/या बोर्ड के नियमों को बनाए रखने में असफल रहे अथवा विद्यालीय कार्य कलाप स्तरों में गिरावट आवे तो बोर्ड उन कमियों को दूर कर अधिकतम एक वर्ष के भीतर संबद्धता कायम रखने हेतु निर्धारित स्तर तक आने के लिए आदेश देगा। यदि विद्यालय अपेक्षओं को पूरा करने में असफल होते है तो संबद्ध विद्यालय की हैसियत वे खो सकेंगे और यहॉ तक कि यदि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाय तो असंबद्ध कर दिये जा सकेंगे ।

8. किसी विद्यालय को असंबद्ध कर दिये जाने पर यदि संबद्धता के पुनर्जीवीकरण हेतु आवेदन असंबद्ध होने की तिथि से पॉच साल के भीतर प्रस्तुत करता है तो संबद्धता समिति बिना कोई संबद्धता शुल्क लिये उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी। परन्तु उपविधि के उपबंधो के पुर्नवहेलना पर उस विद्यालय की संबद्धता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जायेगी ।

अध्याय–V

सोसायटी/न्यास द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालय ।

16. सोसायटी/न्यास को भूमिका एवं उद्देश्य ।

1. सोसाइटी/न्यास द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालय की इसकी अच्छी एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने तथा इसके उद्देश्यों को पूरा करने एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्टाफ को समर्थ बनाने के लिए और शैक्षाणिक उत्कर्ष के लिए केन्द्र होने न होने में क्रांतिकारी एवं मुख्य भूमिका है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सोसाइटी/न्यास की भूमिका एवं दायित्व निम्नरूप में परिभाषित किये जाते है :–

(i) इसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यालय को समुचित भूमि, भवन उपकरण, उपस्कर एवं अर्हता प्राप्त स्टाफ कम से कम बोर्ड के नियमानुसार मिले।

(ii) यह सुनिश्चित किया जायगा कि विद्यालय एक सामुदायिक सेवा के रूप में हो न कि व्यापार के रूप में चले और चाहे जिस किसी भी रूप में भी हो विद्यालय का व्यवसायीकरण न हो ।

(iii) यह सुनिश्चित किया जायगा कि विद्यालय उद्‌भूत निधि विद्यालय के लाभ और उसके विस्तार के लिए खर्च की जाय ।

(iv) यह प्राचार्य की स्वायतता की सुरक्षा करेगा और उस स्थिति को छोड़कर जब प्राचार्य प्रबंधन द्वारा स्थापित ओर स्पष्ट अधिकथित निदेश के विरूद्ध हो, उसे पूर्ण समर्थन उपलब्ध करायेगा।

(v) यह विद्यालय प्रबंधन समिति पर नियंत्रण रखेगा तथा विद्यालय के लिए बजट/शिक्षण फीस तथा वार्षिक प्रभार आदि को अनुमोदित करेगा ।

(vi) यह खर्च को नियंत्रण करेगा यथा जमीन भवन निर्माण तथा उपकरण प्राप्ति।

(vii) यह विद्यालय की आवश्यकताओं के लिए आवर्ती या अनावर्ती जो भी हो निधि की उगाही करेगा ।

(viii) यह सूनिश्चित करेगा कि विद्यालय को मौलिक आवश्यक सुविधाऐं जैसे प्रयोगशाला, उपकरण, खेल–कूद के उपकरण तथा अन्य सह–पाठचर्या कार्यकलायों पुस्तकालय पुस्तकें आदि हैं ।

(ix) विभिन्न कोटि के स्टाफ के लिए चयन समिति । विभागीय प्रोन्नति समिति गठित करने की शक्ति इसे होगी ।

(x) इसे बोर्ड/सरकार के नियमानुसार सेवा शर्तो को अधिकथित करने तथा स्टाफ को विशेष वेतन बृद्धि अथवा इनाम देने के साथ–साथ कर्मचारियों की प्रोन्नति/नियुक्ति करने तथा सेवा समाप्ति की शक्ति होगी ।

2. सोसाइटी/न्यास यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय शिक्षा के प्रावधानों तथा संबद्धता नियमों के अनुसार चलाये जा रहे है और बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समर्पित है तथा इसके लिए आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक कदम उठायेंगे ।

17. विद्यालय प्रबंधन समिति, इसका गठन, शक्ति एवं कृत्य ।

1. सरकारी विद्यालयों को छोड़कर बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों की एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी।

2. विद्यालय प्रबंधन समिति बोर्ड के नियमानुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आधारित होगी :–

(क) मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालय की प्रबंधन समिति में पंद्रह से अनाधिक सदस्य होंगे तथा निजी सहायता प्राप्त विद्यालय की प्रबंधन समिति में इक्कीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे ।

(ख) खंड–(क) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की कुल संख्या के अधीन रहते हुए प्रत्येक प्रबंधन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :–

(i) विद्यालय प्रधान, वे विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव होंगे ।

(ii) विद्यालय में छात्रों के दो माता–पिता

(iii) विद्यालय के दो शिक्षक

(iv) दो अन्य व्यक्ति जिनमें से एक महिला जो किसी अन्य विद्यालय या किसी महाविद्यालय में शिक्षक रहे हों न्यास/समिति/बोर्ड द्वारा मनोनीत किये जायेगे ।

(v) न्यास/समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से बाहर के दो सदस्य बोर्ड द्वारा मनोनीत किये जायेगे। यदि पैनल स्वीकार नहीं किया जाय तो नया पैनल मांगा जा सकेगा । अनुशंसित नाम उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य की पंक्ति से न्यून नहीं होना चाहिए ।

(vi) शेष सदस्य सोसायटी या न्यास के नियमों एवं विनियमों के अनुसार जिसके द्वारा विद्यालय चलाया जा रहा हों, यथा स्थिति, मनोनीत या निर्वाचित किये जायेंगे ।

(vii) कोई भी ऐसा प्रधानाध्यापक/प्राचार्य विद्यालय में नियुक्त नहीं किया जायगा जो विद्यालय प्रबंधन समिति के किसी सदस्य का संबंधी हो । इस नियम के प्रयोजानार्थ संबंध में निम्नलिखित शामिल है :–

भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद, पतोहू

परंतु और कि उपर्युक्त प्रावधान तुरंत के प्रभाव से लागू किये जायेंगे और जो पूर्व में सबंद्ध है और उपर्युक्त प्रावधानों को पूरा नही करते हैं उनसे एक वर्ष के भीतर सुयोग्य अर्हताप्राप्त प्रतिस्थानियों द्वारा सुधारात्मक उपाय करने की अपेक्षा की जायगी :

परंतु और कि नियमों के किसी उल्लंघन से विद्यालय की असंबद्धता की जा सकेगी।

3. प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा । कोई सदस्य अन्य कार्यकाल के लिए पुननिर्युक्त किये जा सकते है किन्तु कोई भी सदस्य, सिवाय पदेन सदस्य तथा न्यास/सोसाइटी विद्यालय के सदस्य के, दो लगातार कार्यकाल से अधिक पद पर नहीं रह सकेगें। विद्यालय प्रबंधन समिति के कर्त्तव्य, शक्ति और दायित्व निम्नरूप में होगें तथा यह नियंत्रण के अध्यधीन समिति/न्यास की नीतियों के अनुसार कार्य करेगी।

18. **विद्यालय प्रबंधन समिति शक्ति एवं कृत्य/सोसाइटी/न्यास के पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन विद्यालय प्रबंधन समिति की निम्नलिखित शक्तियों और कृत्य होगें :–**

(i) इसे विद्यालय से सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण की शक्ति होगी ।

(ii) सोसाइटी द्वारा नामांकन नीति के संबंध में दिये गए विशिष्ट निदेशों के अनुसार यह कार्य करेंगी हलांकि जाति, लिंग धर्म एवं क्षेत्र का विभेद किये बिना गुणावगुण के आधार पर नामांकन किये जायेगे ।

(iii) यह विद्यालय के शिक्षको एवं कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखेगी ।

(iv) यह विद्यालय के विकास के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्यक्रम विकसित करेंगी ।

(v) इसे शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति करने हेतु शक्ति होगी ।

(vi) इसे विद्यालय के बजट प्रावधान के अधीन प्राचार्य को प्रत्यायोजित शक्तियों के परे वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी ।

(vii) इसे प्राचार्य की शैक्षणिक स्वतंत्रता को खतरे में डाले बिना विद्यालय के शैक्षणिक प्रोग्रमो तथा उन्नति का हिसाब लेने की शक्ति होगी ।

(viii) यह विद्यालय में प्रगतिशीलता तथा अनुशासन बनाए हेतु प्राचार्य का मार्ग दर्शन करेगी ।

(ix) यह सुनिश्चित करेंगी कि नियमों तथा बोर्ड द्वारा सेवा के निबंधनों एवं शर्तो संबंधित तथा विद्यालय की मान्यता/संबद्धता शासित करने वाले नियमों का कड़ाई से अनुपालन हो।

(x) यह सुनिश्चित करेंगी कि समय पर विद्यालय को उपस्कर, विज्ञान उपकरण, पुस्तकालय की पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सहायता और अपेक्षित खेल–कूद के सामान पर्याप्त मात्रा मिले ।

(xi) यह स्टाफ के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शाक्ति का प्रयोग करेगी ।

(xii) इसे संस्था के प्रधान को आकस्मिक अवकाश सहित अन्य अवकाश मंजूर करने की शाक्ति होगी ।

(xiii) यह कि सुनिश्चित करेगी कि कोई वित्तीय अनियमितता न हो अथवा नामांकन/परीक्षा से संबंधित कोई अनियमित प्रक्रिया नहीं अपनायी जाय ।

(xiv) इसे सोसाइटी को शिक्षा फीस की दर तथा अन्य वार्षिक प्रभार को प्रस्तावित करने तथा प्रार्चाय द्वारा प्रस्तुत विद्यालय वजट का पुनर्विलोकन करने तथा समिति के अनुमोदन के लिए अग्रेषित करने की भी शक्ति होगी ।

(xv) प्रबंध समिति शैक्षणिक सत्र में कम से कम दोबार बैठक करेगी ।

19. **विद्यालय पबंधक/संवाददाता के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं दायिव्त ।**

(i) न्यास/सोसाइटी एवं विद्यालय के बीच प्रबधक/संवाददाता महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक कड़ी होगा ।

(ii) वह यह सुनिश्चित करेगा कि समिति के निदेश समुचित रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति एवं संस्था–प्रधान के संसूचित किये जाते हैं ।

(iii) वह प्रबंध समिति के नियंत्रण के अध्यधीन विद्यालय पर सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा ।

(iv) वह प्रबंधन स्कीम में विहित एवं प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(v) वह प्रबंध समिति की ओर से स्टाफ के नियुक्ति पत्रो, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए पत्रों एवं सेवा समाप्ति तथा निलंबन पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करेगा ।

(vi) वह विद्यालय प्रधान के दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

(vii) संबद्धता/मान्यता से संबंधित सभी पत्र उनके द्वारा प्रतिहस्क्षारित किये जायगे ।

20. **<u>विद्यालय प्रधान–कर्तव्य, शक्तियाँ एवं दायित्व ।</u>**

(i) विद्यालय प्रधान/प्राचार्य विद्यालय प्रबंधन समिति के पदेन एवं सम्माननीय सचिव होंगे।

(ii) अपने प्रभार के अधीन विद्यालय के कार्यालय प्रधान के रूप में कार्य करेंगे तथा कार्यालय प्रधान के अपेक्षित प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

(iii) गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामलों को छोड़कर विद्यालय के कर्मचारियों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा वे केवल ऐसे कृत्यों की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में पालन करेगें जो सोसायटी द्वारा निर्गत अनुदेशों में विहित किये गये हों।

(iv) वे विद्यालय के लेखा, विद्यालय अभिलेख शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और अन्य ऐसे रजिस्टरों, विवरणियों, सांख्यिकियों का समुचित रूप से संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे जो सोसाइटी/बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाय ।

(v) विद्यालय से संबंधित कार्यालय पत्राचार करेंगे तथा विनिर्दिष्ट तिथि के भीतर राज्य सरकार/बोर्ड द्वारा अपेक्षित विवरणी तथा सूचना भेजेगें ।

(vi) समय पर तथा भुगतान को शासित अनुदेशों के लिए सभी भुगतान (शिक्षकों तथा अन्य शिक्षकेतर स्टाफ के वेतन एव भत्ता सहित) करेंगे ।

(vii) यह सुनिश्चित करना कि यथा प्रभारित शिक्षण फीस वसूल की जाती है तथा समुचित रूप से लेखा रखा जाता है तथा सम्यक् रूप से उन प्रयोजनों के लिए जिसके लिए वे प्रभारित किये गये हों, विनियोजित करना ।

(viii) भंडार के लिए तथा उस क्रय को शासित करने वाले नियमों के अनुसार विद्यालय के लिए अपेक्षित अन्य सामग्रियों का क्रय करना एवं सभी को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना तथा विपत्रों की संवीक्षा करना एवं भुगतान करना ।

(ix) वर्ष में कम से कम एक बार विद्यालय सम्पत्ति तथा स्टॉक का भौतिक सत्यापन संचालन करना तथा स्वच्छ एवं सही रूप में स्टॉक रजिस्टर का संधारण करना ।

(x) छात्र निधि का समुचित उपयोगिता के लिए जिम्मेवार होंगे ।

(xi) स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति के लिए संतोष प्रद व्यवस्था करेगें छात्रों को अन्य सुविधाएँ प्राप्त करायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे विद्यालय भवन, उसके स्थिरीकारक एवं उपस्कर,कार्यालय उपकरण, प्रयोगशालाएँ, खेल के मैदान विद्यालय बाग एवं अन्य संपत्तियों का समुचित रूप से और सावधानीपुर्वक संधारण किया जा रहा है ।

(xii) विद्यालय के शिक्षण तथा शिक्षकेत्तर स्टाफ के कार्यो का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करना ;

(xiii) विद्यालय में नामांकन प्रभारी होंगे, विद्यालय समय सारणी, कार्यो का आवंटन, शिक्षकों पर शिक्षणभार की तैयारी, शिक्षको को उनके कार्यनिर्वहन में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करना तथा समय समय पर सरकार/बोर्ड द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार विद्यालय परीक्षा का संचालन तथा अपने सहयोगियों के परामर्श से इन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

(xiv) अपने सहयोगियों के परामर्श से अग्रिम शैक्षणिक सत्र का वार्षिक योजना तैयार करना तथा महीने में कम से कम एक बार स्टाफ की बैठक करना तथा माह के दौरान किये गये कार्यो का पुनर्विलोकन करना एवं छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना ।

(xv) शिक्षको को उनके व्यवसायिक उन्नति के संबर्द्धन के लिए सहायता करना तथा मार्गदर्शन करना तथा सेवा–शिक्षा के लिए निरूपित कोर्स में उनकी भागीदारी को तत्परता से बढ़ावा देना ।

(xvi) स्वविकास के लिए शिक्षको के पहल को बढ़ावा देना तथा शैक्षिणिक रूप मजबूत प्रयोग को जिम्मालेने हेतु प्रोत्साहित करना ।

(xvii) वर्ग शिक्षण का पर्यवेक्षण करना तथा अंतर विषय समन्वय के साथ–साथ एक ही विषय के क्षेत्रो के शिक्षको के बीच सहकारिता एवं समन्वय सुनिश्चित करना ।

(xviii) समुदाय के कमजोर वर्गो के बच्चों तथा अन्य बच्चो के भी जिन्हें सुधारात्मक शिक्षण की आवश्यकता हो, बच्चों के विशेष सुधारात्मक शिक्षन की व्यवस्था करना ।

(xix) अनौपचारिक तथा गैर वर्ग शिक्षण के लिए व्यवस्था करना ;

(xx) छात्रों के लिखित कार्य एवं घर समनुदेशन की संवीक्षा के लिए नियमित समय–सारणी की योजना बनाना तथा विनिर्दिष्ट करना एवं यह सुनिश्चित करना कि समनुदेशन तथा त्रुटियों का सुधार समय पर और प्रभाव कारी रूप से किये जाय ।

(xxi) छात्रों के लिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार विशेष अनुदेशों को संगठित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ।

(xxii) घरेलू सिस्टम अथवा ऐसे अन्य प्रभावकारी तरीके से जिसे वे उचित समझें, विभिन्न सह–पाठ्यचर्या क्रियाकलापों को संगठित समन्वित करना ;

(xxiii) विद्यालय में पुस्तकालय संसाधन तथा पठन–पाठन सुविधाओं को विकसित तथा संगठित करना एवं यह सुनिश्चित करना कि छात्रों एवं शिक्षकों की पहॅूच स्थापित मूल्यों तथा उपयोगिता की पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं तक हो सके तथा उनका उपयोग किया जा सके ।

(xxiv) छात्रों की प्रगति प्रतिवेदन उनके माता–पिता अथवा अभिभावकों को नियमित रूप से भेजना ।

(xxv) छात्रों के शारीरिक स्वस्थता को संवर्द्धित करना, उच्च स्तर की स्वच्छता तथा स्वास्थ्य आदतों को सुनिश्चित करना तथा छात्रों की सामयिक–स्वास्थ्य परीक्षण का प्रबंध करना एवं स्वास्थ्य प्रतिवेदन माता–पिता अथवा अभिभावकों को भेजना ।

(xxvi) छात्रों के शिक्षण हेतु सप्ताह में कम से कम बारह घंटे का समय देना ।

अध्याय–VI

21. **न्यूतम अर्हताओं में छूट ।**

बोर्ड ने शिक्षण विषयों/वर्गो के लिए प्रधानो तथा शिक्षकों के संबंध में न्यूतम अर्हताएँ अधिकथित की है । सामान्यता बोर्ड द्वारा न्यूनतम अर्हताओं में कोई छूट देने पर विचार नहीं किया गया है ।

अध्याय–VII

22. शिक्षकों तथा समर्थक स्टाफ की अध्यपेक्षाएँ ।

प्रत्येक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय को प्रधानाध्यापक के अलावे बीस शिक्षक होने चाहिए जिनमें से आठ प्रशिक्षित स्नातक माध्यमिक भाषा के लिए (दो शिक्षक) गणित (एक शिक्षक) प्राकृतिक विज्ञान (दो शिक्षक) समाज विज्ञान (एक शिक्षक) शारीरिक शिक्षा (एक शिक्षक) एवं कला (एक शिक्षक) तथा उच्च माध्यमिक के लिए ग्यारह स्नातकोत्तर, भाषा (दो शिक्षक) गणित (एक शिक्षक) प्राकृतिक विज्ञान (तीन शिक्षक) समाज विज्ञान (दो शिक्षक) वाणिज्य विषय (दो शिक्षक) कंप्यूटर (एक शिक्षक) पॉच शिक्षकेत्तर स्टाफ (तकनीकी), में प्रयोगशाला तकनीशियन (तीन) कंप्यूटर सहायक (एक) और पुस्तकालयाध्यक्ष (एक) शामिल होंगे । प्रशासनिक कार्य के लिए प्रत्येक विद्यालय में छः शिक्षकेत्तर (अन्य) स्टाफ सदस्य कार्यालय सहायक (दो) केयर टेकर (एक) ऑफिस एटेन्डेंट (दो) तथा गार्ड (एक) होगा ।

अध्याय–VIII

विवेचन, निरसन एवं व्यावृति ।

23. विवेचन

इस उपविधि के किसी प्रावधान के विवेचन के प्रश्न पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

24. **निरसन एवं व्यावृति ।**

(1) संबद्धता विनियम से संबंधित विद्यमान प्रावधान एवं उसके अधीन निर्गत कोई अधिसूचना या आदेश एतद् द्वारा इस उपविधि द्वारा निरसित किये जाते है :

परंतु कि:–

(i) ऐसे निरसन का प्रभाव उक्त विनियमों या किसी अधिसूचना अथवा आदेश के पूर्व कार्यान्वयन अथवा उसके अधीन किये गए कुछ भी या की गयी किसी कार्रवाई पर नही पड़ेगा ।

(ii) इस उपविधि के आरंभ पर लंबित उस विनियम के अधीन कोई कार्यवाही जारी रहेगी और, जहॉ तक हो सके इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार निपटायी जायगी मानो वह कार्यवाही इस उपविधि के अधीन हो ;

(iii) इस उपविधि की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि किसी व्यक्ति को , जिसपर यह उपविधि लागू होती है, अथवा अपील का किसी अधिकार जो उसे प्राप्त है जो इस उपविधि के आरंभ के पूर्व लागू विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन उसे प्रोद्भूत हुआ था से वंचित किया गया है ।

(iv) इस उपविधि के आरंभ के पूर्व किये गए आदेश के विरूद्ध इस उपविधि को आरंभ पर लंबित अपील पर इस उपविधि के अनुसार विचाार किया जायगा तथा उस पर आदेश किया जायगा मानों वह आदेश और वह अपील इस उपविधि के अधीन किये गए हो ।

(2) इस उपविधि के आरंभ पर इसके आरंभ के पूर्व किये गए किसी आदेश के विरूद्ध किसी आपील अथवा पुनर्विलोकन के लिए आवेदन इस उपविधि के अधीन दायर किया या दिया जायगा मानों वह आदेश इस उपविधि के अधीन किया गया हो ।

25. **वाद दायर करने की अधिकारिता ।**

इस उपविधि के प्रावधानों से उत्पन्न कोई विवाद केवल पटना न्यायालय के अध्यधीन होगा।

परिशिष्ट–I

विद्यालयों तथा निरीक्षण के लिए मार्गदर्शन ।

संबद्धता आदि के लिए निरीक्षण हेतु समिति ।

1. संबद्धता/उत्क्रमण के अनुमोदन के लिए निरीक्षण की प्रत्तीक्षा करने वाले विद्यालयों को समिति के निरीक्षण के लिए सम्यक रूप से पूर्ण निम्नलिखित जानकारी/अभिलेख / दस्तावेज उपलब्ध कराना चाहिए। उन्हें अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में इन पहलूओं को उल्लेख करना होगा ।

2. विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी/न्यास का गठन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति,सोसायटी/न्यास के सदस्यों नाम, पेशा, तथा पता (सदस्यों की आपसी संबंध के बारे में शपथ–पत्र)

3. विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाम एवं पेशा तथा पता और इसका गठन अध्याय VI में दिये गये मार्ग दर्शन के अनुसार होना चाहिए । विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रत्येक सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में शपथ–पत्र की प्राप्ति एवं सत्यापन ।

4. विद्यालय की आय तथा व्यय का विवरण एवं अतिशेष, (गत तीन वर्षो का अंकेक्षित लेखा की प्रति), विद्यमान सुविधाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, खेल के मैदान के विकास तथा विस्तार के लिये आय स्त्रोत (नियमित या अन्यथा)।

5. प्राचार्य तथा शिक्षकों के नाम, अर्हताएँ तथा जन्मतिथि दर्शाते हुए अद्यतन विवरण तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक वर्गो में शिक्षण कार्यो का आबंटन । गैर सहायता प्राप्त निजी रूप से प्रबंधित विद्यालयों के मामलों में स्टाफ के सदस्यों के मूल में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट निरीक्षण समिति को अवश्य दिखाना होगा । निरीक्षण समिति को स्टाफ के प्रत्येक सदस्य के मूल सर्टिफिकेट/डिग्री आदि को सावधानी पूर्वक देखने के बाद सत्यापित करना चाहिए ।

6. वर्ग IX-X में पढ़ाने वाले प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के संबंध में स्नातक स्तर पर लिये गये विषयों के संबंध में सबूत तथा वर्ग XI-XII में पढ़ाने वाले स्नातकोत्तर शिक्षको को उस विश्व विद्यालय, जिससे अपनी डिग्री प्राप्त किये हों, का मुख्यतः मूल अंक पत्र । विहित प्रपत्र में एक विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए ।

7. कर्मचारियों के साथ सेवा–एकरारनामा,: कर्मियों को भुगतेय वेतनः सरकारी संस्थाओं नियोजित शिक्षकों के समान कोटि के अनुसार वेतनमान तथा भत्ता होना चाहिए माह के आरंभ में किंतु प्रत्येक माह 10 तारीख के बाद नही, चेक के माध्यम से वेतन वितरण किया जाना, भविष्य निधि का प्रावधान तथा कर्मचारियों को अन्य लाभों का सत्यापन किया जाना। सेवा–एकरारनामा बोर्ड के नियमों/राज्य या संघक्षेत्र सरकार के नियमानुसार होना चाहिए।

8. **आरक्षित निधिः–** क्या यह संधारित की गयी है तथा उसका व्योरा अथवा यदि संबद्धता की जाती है तो विद्यालय द्वारा उस निधि को संधारित करने हेतु निधि है या नहीं ।

9. **भवन तथा वर्ग कक्षः–** दो एकड़ भूमि धारण करने का प्रमाण विद्यालय प्रयोजन के लिए भूमि एवं भवन की सामान्य उपयुक्तता, वर्ग कक्षों की पर्याप्तता, विहित नियमों के अनुसार सह–पाठ्यचर्या के क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त कमरों की उपलब्धता ।

10. **पुस्तकालय सुविधाः–** भंडार कक्ष तथा पठन कक्ष का विस्तार; पुस्तकों की विभिन्न कोटि को इंगित करते हुए पुस्तकों की संख्या तथा पुस्तकों की कीमत से संबंधित व्योरा। पुस्तकालय के लिए वार्षिक बजट/इस उपविधि में विहित नियमों के अनुसार ग्राहक बने पत्रिकाओं आदि की संख्या ।

11. **प्रयोगशालाएँः–** विभिन्न विज्ञान विषयों के लिए प्रयोगशालाओं का विस्तार एवं संख्या; बोर्ड द्वारा विहित रूप में उपकरण, आपेरेट्स एवं केमिकल्स; प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के विस्तार के लिए वार्षिक बजट ।

12. **शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षाः–** उपलब्ध खेल के मैदानों का व्योरा : अन्य मनोरंजन सुविधाएँ स्वास्थ्य परीक्षण का प्रावधान, विद्यालय डाक्टर की उपलब्धता ।

13. **छात्रो की संख्या का विवरणः–** छात्र और छात्राओं का पृथक रूप से वर्ग–वार एवं सेक्शनवार नामांकन कुल नामांकन तथा छात्र एवं शिक्षक के अनुपात ।

14. **आंतरिक मूल्यांकन का अभिलेखः–** वर्ग IX-X में तृतीय भाषा परीक्षाफल का अभिलेखः कार्यानुभव, कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा क्रिया कलापों आदि का अभिलेख ।

15. **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दशाः–** नगर निगम प्राधिकार से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा एवं सुरक्षित जलपान प्रमाण पत्र ।

16. **संभावित योजनाएँः–** विद्यालय का विस्तार वर्ग IX से माध्यमिक या माध्यमिक से उच्च माध्यमिक होने की स्थिति में; योजना वित्त स्त्रोत, अतिरिक्त भूमि आदि की उपलब्धता पर विस्तृत जानकारी ।

17. बोर्ड द्वारा अधिकथित शर्तो को पहले पूरा किया जाना, निरीक्षण समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना (केवल पश्चात्वर्ती निरीक्षणों के मामले में लागू)

नोटः– उपर्युक्त विन्दुओं से संबंधित जानकारी तैयार की जानी चाहिए तथा प्राचार्य एवं प्रबंधक/संवाददाता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए । निरीक्षण समिति को दो फोल्डर दिया जायेगा जो अपने प्रतिवेदन की दो प्रतियों के साथ एक प्रति बोर्ड को अग्रेषित करेगी।

अल्पसंख्यक संस्थाएँ ।

1. शैक्षिक संस्था की अल्पसंख्यक प्रकृति का पर्यवसान ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का लाभ–दावा समुदाय द्वारा केवल यह साबित करने पर किया जा सकेगा कि वह एक धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यक है तथा संस्था उसके द्वारा स्थापित थी । विधि न्यायालय में सबूत का प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विनियमित होगा । यह अधिनियम की अपेक्षा है कि जहाँ लिखित दस्तावेज है वहॉ अन्य साक्ष्य अपर्जित हो जाता किंतु यदि कोई लिखित दस्तावेज न हो तो अन्य साक्ष्य ग्रहणीय है ।

2. अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य

यह सर्वथा आवश्यक नही है कि उद्देश्य जिनके लिए अल्पसंख्यक कोई शिक्षण संस्था स्थापित करें, वहाँ अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति का संरक्षण अवश्य शामिल होगा । अनुच्छेद 30 (1) केवल इस बात पर जोर देता है कि कोई शिक्षण संस्था स्थापित करने तथा चलाने वाला निकाय भाषा/धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक होता है । यह उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की प्रकृति के बारे में कुछ नहीं कहता । फिर भी कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होगी यद्यपि कि वह धर्म निरपेक्ष शिक्षा देती है । एक बार यदि अल्पसंख्यक संस्था होना साबित हो जाय तो दी जाने वाली शिक्षा की तथा प्रशासन की प्रकृति उनकी इच्छा के अनुसार होगी, जो उसको चला सकते हों । इन मामलों में इच्छा किसी एक की हो भी नहीं सकती ।

3. मान्यता चाहने वाले के लिए कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करना ।

मान्यता चाहने वाली किसी संस्था को शैक्षणिक मानकों, शिक्षक की अर्हताओं तथा नामांकन चाहने वाले छात्रों के संबंध में कानूनी अपेक्षाओं को अवश्य पूरा करना होगा । इसे वित्तीय संसाधन तथा संपोषित आधार पर चलाने का सामर्थ्य होना चाहिए । जब मान्यता चाहने वाले आवेदनों के पक्ष में विचार नहीं किया गया हो तो नामंजूरी के आधारों को ऐसे आवेदन दाखिल करने वाली शिक्षा संस्थाओं को अवश्य संसूचित किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी शीघ्र मान्यता में आने वाली बाधाओं से निपटने में सहायता मिल सकें ।

4. **अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में अनुदेश के माध्यम ।**

राज्य सरकार अथवा विश्व विद्यालय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपनाये जाने वाले अनुदेश के माध्यम को विहित करने हेतु सशक्त नहीं है । फिर भी, अनुदान सहायता प्राप्त करने वाली संस्था के मामलो में कतिपय मानकों या निपुणता का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा । संभवतः कोई निर्णय ऐसा नही है जिसमें अनुदान सहायता प्राप्ति के लिए शर्त के अधीन राजभाषा का शिक्षण अनिवार्य हो किंतु यदि ऐसी शर्त अधिरोपित की जाती है तो सहायता प्राप्त करने वाली संस्था को इसका अनुपालन करने हेतु परामर्श दिया जायगा ।

5. **अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में शासो निकायों का गठन ।**

अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था प्रबंध–समिति/शासी निकायों में अन्य समुदायों से सक्षम एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को रखने हेतु स्वतंत्र होगी। किसी शिक्षा संस्था की अल्पसंख्यक प्रकृति इतनी दुर्बल नही है कि प्रबंध समिति/शासी निकाय के गठन हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को प्रभावकारी बहुमत उपलब्ध न करा सके । राज्य को प्रत्यक्ष रूप से अथवा विश्व विद्यालय के माध्यम से शासी निकायों के गठन किसी ऐसी रीति से निदेश करने की शक्ति नही होगी जिससे उसकी अपनी शिक्षा संस्थाओं को प्रभावकारी प्रशासन के बहुमत से बंचित रह जाय । फिर भी, राज्य अथवा विश्व विद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को ही शासी निकायों में स्थान प्राप्त हो, सामान्य मार्गदर्शन अधिकथित कर सकेगा ।

6. **अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में स्टाफ पर अनुशासनिक नियंत्रण ।**

प्रबंधन को स्टाफ पर अनुशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करते समय यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि सजा देने के पूर्व उनके द्वारा जाँच पड़ताल की जाय तथा एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनायी जाय । अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था के प्रबंधन द्वारा संभावित शक्ति के दुरूपयोग के निवारण के विचार से उनके कर्मचारियों के हितों तथा सजा अधिरोपित करने की प्रक्रिया सहिता उनकी सेवा शर्तो की रक्षा के लिए नियामक–शक्ति राज्य की है ।

7. **अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में छात्रों का नामांकन ।**

अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को नामांकन के विषय में अपने समुदाय के छात्रों को विशेष घ्यान देने की स्वतंत्रता होगी । सरकार को इन संस्थाओं में मेघाक्रम से तथा कड़ाई से नामांकन पर जोर नही देना चाहिए । इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े समुदायों के छात्रों के नामांकन के पक्ष में यदि आरक्षण हो तो सरकार नियमावली को लागू नहीं कर सकती, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को नामांकन करने में नैसर्गिक न्याय एवं निष्पक्षता के नियमों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए तथा

चंदा अथवा अन्य वाह्य घटकों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए जिससे कि उसी अल्पसंख्यक समुदाय के कम लाभान्वित बच्चों के विरूद्ध विभेद हो ।

8. **अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति ।**

सरकार अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ के पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के पक्ष में आरक्षण नियमों को लागू नहीं कर सकती ।

स्वायत्तता दिये जाने के लिए मार्ग दर्शन ।

1. **विद्यालय को निम्नलिखित के लिए स्वायत्तता दी जा सकेगी :–**

(i) पाठ्यचर्या रूपांकन स्वयं करने ;

(ii) परीक्षाओं की योजना बनाने

(iii) दोनों के लिए ।

2. **विद्यालय द्वारा पाठ्यचर्या का रूपांकन तथा मुल्यांकन निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–**

(i) विषयों की पाठ्यचर्या या विषयों का सिलेबस सामान्यत बोर्ड के अध्ययन स्कीम विशेष रूप से पढ़ाये जाने वाले विषयों की संख्या के अधीन होना चाहिए। उदाहरण रूवरूप–त्रिभाषा फार्मूले से कोई विचलन नहीं होना चाहिए ।

(ii) पाठ्यचर्या बोर्ड द्वारा समय–सयम पर अंगीकार की गयी–सामान्य राष्ट्रीय नीति के अनुशरण में होनी चाहिए ।

(iii) विद्यालय द्वारा धर्म निरपेक्षता एवं राष्ट्रीय अखंडता की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

(iv) जब भी राष्ट्रीय नीति द्वारा पाठ्यचर्या में संशोधन की अपेक्षा हो विद्यालय द्वारा किया जायगा ।

(v) पाठ्यचर्या का स्तर किसी भी दशा में बोर्ड के सिलेबस से कम नहीं होगा ।

(vi) विद्यालय को नये विषयों में, जिसे अतिरिक्त विषय के रूप में लिया जा सकता है, प्रयोग करने की स्वतंत्रता होगी ।

(vii) बोर्ड द्वारा सभ्यक्रूप से अनुश्रवित संवीक्षित विद्यालय आकलन के आधार पर सर्टिफिकेट निर्गत कर सकेगा ।

3. **विद्यालय स्वायत्तता का प्रयोजन । चयनित विद्यालयों को स्वायत्तता देने का मुख्य प्रयोजन निमलिखित है :–**

(i) विद्यालय को अच्छा करने तथा शिखर पर पहुँचने की स्वीकृति देने ;

(ii) विद्यालीय शिक्षा में प्रयोग के लिए विस्तृत क्षेत्र की अनुमति ;

(iii) भारत जैसे वृहद देश में स्थानीय/सामाजिक आवश्यकता की विविधता का उपयोग करने ;

(iv) शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के लिए उपवंध करना ।